



Government Polytechnic, Bhaga, Dhanbad
Earlier known as Mining Institute, Bhaga
(Department of Higher, Technical & Skill Development, Government of Jharkhand)
(BIT Sinda Campus, PO: Motinagar, Dist: Dhanbad- 828120)
Email: gpbbhaga@gmail.com

अंशकालीन व्याख्याताओं के कार्यानुमति हेतु आवेदन पत्र।

शाखा/विषय :-

1. आवेदक का नाम :-

2. पिता/पति का नाम :-

3. माता का नाम :-

4. जन्म तिथि :-

5. लिंग- महिला पुरुष

6. आवेदक का पत्राचार का पता :-

7. स्थायी पता :-

8. क्या आप भारत के नागरिक हैं ?

9. क्या आप झारखण्ड राज्य के स्थायी अधिवासी हैं?

10. कोटि-सामान्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अतिपिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग

11. दूरभाष सं० मोबाईल नं०..... ई-मेल.....

12. शैक्षणिक योग्यता-

| उत्तीर्ण परीक्षा | संकाय/विषय | उत्तीर्णता का वर्ष | संस्थान | बोर्ड/विश्वविद्यालय | प्राप्तांक/पूर्णांक | प्रतिशत |
|------------------|------------|--------------------|---------|---------------------|---------------------|---------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

13. अनुभव का विवरणी (अनुभव की गणना केवल नियमित/एडहोक/संविदा के पूर्णकालिक नियुक्ति अवधि की की जायगी)

| पद का नाम | संबंधित संस्थानों का विवरण | उत्तीर्णता का वर्ष | शिक्षण/शोध/उद्योग में अनुभव | | | प्रमाण पत्र संलग्न करें |
|-----------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|-------|----------|-------------------------|
| | | | कब से | कब तक | कुल अवधि | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

स्थान-

दिनांक-

आवेदक का हस्ताक्षर



Government Polytechnic, Bhaga, Dhanbad

Earlier known as Mining Institute, Bhaga

(Department of Higher, Technical & Skill Development, Government of Jharkhand)

(BIT Sindri Campus, PO: Motinagar, Dist: Dhanbad- 828120)

Email: gpbhaga@gmail.com

अंशकालीन व्याख्याताओं के कार्यानुमति हेतु सूचना

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग झारखण्ड सरकार के संकल्प (ज्ञापांक सख्या-2890), दिनांक-11.12.2015 के आलोक में निम्नलिखित विषयों/शाखाओं में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए अंशकालीन व्याख्याताओं के रूप में कार्यानुमति हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 20.10.2020 है। यह अंशकालीन व्याख्याता के कार्यानुमति की व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है एवं किसी भी समय बिना बताए कार्यानुमति निरस्त किया जा सकता है। इसमें यथा संभव झारखण्ड सरकार के प्रावधान के अर्न्तगत आरक्षण नियम लागू रहेगा। Short Listed Candidate का Online साक्षात्कार के समय एवं दिन की जानकारी उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये E-mail Id / Cell No. के माध्यम से दी जायगी। नियमित नियोजित उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायगी। वैसे उम्मीदवार जो किसी सरकारी संस्था/उपक्रम में कार्यरत हैं, उन्हें अपने नियंत्री पदाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें सूनिश्चित हो सके कि व्याख्यान देने के कार्य से संबंधित कर्मचारी/अधिकारी का स्वयं के संबंधित संस्था का कार्य बाधित नहीं होता हो। कार्यानुमति के आवेदन हेतु विषयवार न्यूनतम योग्यता निम्नवत होगी।

| विषय / शाखा | निर्धारित योग्यता | साक्षात्कार का माध्यम |
|--|---|-----------------------|
| भौतिकी, रसायन, गणित, अंग्रेजी, बायोलोजी (प्राणी विज्ञान/वनस्पती विज्ञान) | संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री। | ऑनलाईन |
| खनन अभियंत्रण, असैनिक अभियंत्रण, कम्प्यूटर अभियंत्रण, यांत्रिक अभियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रीकल अभियंत्रण, फुड टेक्नोलोजी | संबंधित शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातक डिग्री। | |

शर्तें-

1. Online साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
2. व्याख्यान/कार्य आरम्भ करने की तिथि से उस सेमेस्टर के लिए पूर्णतः अंशकालीन व्याख्याता के रूप में कार्य करेंगे।
3. सरकार द्वारा स्वीकृत रु0 400/- (चार सौ मात्र) प्रति व्याख्यान की दर से अधिकतम 60 वर्ग कार्य प्रतिमाह तक पारिश्रमिक के रूप में देयता रहेगी।
4. लगातार 14 (चौदह) कार्य दिवसों में अनुपस्थित रहने पर निर्गत कार्यानुमति स्वतः समाप्त हो जायगी।

5. इस व्यवस्था के अर्न्तगत कार्यानुमति प्राप्त अंशकालीन व्याख्याता नियमित नियुक्ति के हकदार नहीं होंगे।
6. योगदान करने या व्याख्यान देने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
7. सेवा प्रतिष्ठानों में कार्यरत व्यक्तियों को कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व अपने मूल कार्यस्थल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायगी। अभ्यर्थी का कार्यरत रहने की अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी।
9. नियमित नियुक्ति की स्थिति में संस्थान प्रधान द्वारा निर्गत कार्यानुमति को निरस्त कर दिया जायगा।
10. चयनित अंशकालीन व्याख्याताओं को मानदेय का भुगतान इस आशय का शपथ पत्र समर्पित करने के उपरान्त ही किया जायगा कि वे सिर्फ राजकीय पोलिटेकनिक भागा धनबाद में अंशकालीन व्याख्याता के रूप में कार्य करते हैं। उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग झारखण्ड सरकार के अर्न्तगत किसी भी अन्य पोलिटेकनिक/महिला पोलिटेकनिक अथवा अभियंत्रण महाविद्यालय में अंशकालीन व्याख्याता के रूप में कार्यरत नहीं हैं।

गुरु १
प्राचार्य ११/१२/२०२०

राजकीय पोलिटेकनिक भागा, धनबाद